देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1117/भू अ०

दिनांक : 02/04/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम-दासडीह, थाना-सारवाँ, थाना सं०-157,** अंचल-सारवाँ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **सिकिटिया (बवनगामा-पथरौल पथ पर) से शामलपुर-बोचबांध-डुबा-बनवरिया-जियाखारा-मनीगढ़ी (सारठ-देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम-दासडीह, थाना-सारवाँ, थाना सं०-157, अंचल-सारवाँ, जिला-देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.44** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क्र. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	160	रैयती	बाड़ी-2	0.02	गोविन्द कुमारी जौजे कोदो राय (ज० रै०)	बनवरिया-159	तुम्बोजमनी-10	ताराजोर नं०-127	अजीत रकवा का अंश
2	9	162	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।				
3	14 क	115/392	रैयती	बाड़ी-2	0.07	नन्द किशोर साही पे० झमल साही वो बैजनाथ साही वो विजय साही पे० अम्बिका साही अंश समान सा० देह।				
4	14 क	159	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
5	14 क	170	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव।				
6	14 क	361/382	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
7	21	111	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भोट राय बल्द मनु राय (ज० रै०)				
8	22	168	रैयती	बाड़ी-2	0.02	भालू राय वो फेकन राय वो महेन्द्र राय पे० टिकेत राय अंश समान सा० देह।				
9	25	115/391	रैयती	बाड़ी-2	0.03	रामस्वरूप शाही (प्रधान) पे० बद्री साही इंदिरा देव्या पति राजकिशोर साही व गंगाधर शाही पे० शिरोमणी साही वो जितेन्द्र साही पे० श्यामसुन्दर साही वो अभिमन्यु साही वो सुनील साही पे० शारदा शाही वो चन्द्रशेखर साही वो धिरेन शाही पे० कृष्ण साही अंश समान सा० देह।				
10	25	363	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
11	27 क	115	रैयती	बाड़ी-2	0.05	नटवर साही वो उतम कुमार साही वो गोतम प्र० साही पे० साधु शरण साही अंश समान सा० देह।				
			कुल रकवा-		0.44					

C:\Users\Lenovo\Desktop\S Jha\16.03.20\Dashdih 157.Docx

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 417 / भू अ०, देवघर, दिनांक 02/04/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवाँ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।